127

न्यायालयः समक्ष राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र.क्र. निग्./ (रुद्र) प्रथम/2016 निग -2189- I -16

श्री दिवाकर दीक्षित द्वारा आज दि. 4/07/16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

दिवाकर दीक्षित (PS) 4/7/16

अनिल कुमार शुक्ला पुत्र
श्री विजेन्द्र कुमार शुक्ला
जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा
बड़ौदा जिला श्योपुर म.प्र.

............आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

(1) मु. कुसुमबाई बेवा विजेन्द्र कुमार शुक्ला निवासी बड़ौदा

(2) श्रीमती सुधा पुत्री विजेन्द्र कुमार निवासी स्टेट बैंक कॉलोनी मण्डला जिला मण्डला (म.प्र.)

(3) सुनील कुमार पुत्र विजेन्द्र कुमार शुक्ला, निवासी 12 संगम विहार कॉलानी, झाँसी (उ.प्र.)

(4) हेमन्त कुमार पुत्र विजय कुमार शुक्ला, निवासी चम्बल कॉलोनी ठाठीपुर, ग्वालियर

(5) रेणू पुत्री विजय कुमार पत्नी पवन तिवारी निवासी तिवारी बिल्डिंग मटेरियल, खाती बाबा झाँसी,(उ.प्र.)

(6) विजयलक्ष्मी पुत्री आनंददत्त पत्नी स्व. बाबूराम तिवारी, निवासी नौवापुरसानी तह. घोरहरा जिला लखीमपुर खीरी, (उ.प्र.)

(7) रजनी पुत्री आनंनदत्त शुक्ला पत्नी स्व. भूदेव मिश्रा, निवासी आवास विकास ए-/159 नन्दनपुरा, झाँसी (उ.प्र.)

(8) उषा पुत्री आनंददत्त पत्नी आर. एन.मिश्रा निवासी लाडपुरा कोटा, रेलवे कॉलोनी, कोटा (राजस्थान)

(9) सरला पुत्री आनंददत्त पत्नी रामयशपाल शुक्ला, निवासी रंगपुर रोड-3 कोटा (राजस्थान)

क्रमश : 2

T.C.

(10) अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना

............अनावेदकगण/गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध न्यायालय अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग मुरैना के प्र. क्र.282/15-16/अपील में आदेश दिनांक दिनांक 16/06/2016 स्थगन आदेश से व्यथित होकर

माननीय न्यायालय,

निगरानी कर्ता/आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है

निगरानी का संक्षिप्त विवरण

यह है कि कस्बा बड़ौदा की भूमि सर्वे क्रमांक 1900/1 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा, 1901 रकबा 6 बिस्वा सर्वे क्रमांक 2434 रकबा 15 बिस्वा, सर्वे क्रमांक 2436 रकबा 13 बिस्वा, सर्वे क्रमांक 2576 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 05 कुल रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा कृषि भूमि आवेदक अनिल कुमार की दादी श्यामा देवी पत्नी आनंददत्त शुक्ला के नाम राजस्व अभिलेखों में आलोच्य आदेश दिनांक 27/07/01 दर्ज थी। भूमि स्वामी श्यामादेवी के उक्त भूमि की वसीयत आवेदक के पिता विजेन्द्र कुमार को जर्ये वसीयत नामा 17/01/86 को दी थी, आवेदक के पिता हार्ट अटैक के मरीज थे तथा कभी भी जीवन संकटमय हो जाने की शंका से आवेदक के पिता विजेन्द्र कुमार ने उक्त भूमि को जर्ये वसीयत नामा दिनांक 28/08/2000 से आवेदक को दी है। श्यामादेवी की मृत्यु के पश्चात आवेदक के पिता विजेन्द्र कुमार श्यामादेवी की वसीयत दिनांक 17/01/86 के आधार पर अपना नामान्तरण नहीं करवा पाये। इस कारण से श्यामादेवी की मृत्यु के उपरान्त भी प्रश्नाधीन भूमि का नामान्तरण 8 से 10 वर्षो तक नहीं हो पाया इस बीच वसीयत ग्रहिता विजेन्द्र कुमार दिनांक 23/09/2000 को हार्ट अटैक आने से फौत हो गये तथा आवेदक से उसके पक्ष में की गई वसीयत दिनांक 28/08/2000 भूलवश कहीं रखने में आ गई इस कारण से आवेदक भी अपना नामान्तरण नहीं करवा पाया। जिसका बेजा फायदा रेस्पो. गणों ने उठाते हुये नायब तहसीलदार बड़ौदा की नामान्तरण पंजी क्रमांक 34 दिनांक 27/06/2001 आदेश

क्रमश : 3

R. 2189-I/16 श्योपुर

22/1/18

आवेदक अभि० का - दिवाकर दीक्षित उप०।
अना० 10 का आवे० से पैनल अभि० उप०।
अना० 3 का आवे० से श्री सुनील सिंह जादौन उप०।

2- आवेदक अभि० द्वारा अनुरोध किया है कि वह प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। प्रकरण न चलाने के कारण समाप्त किया जाता है।